

प्रेस नोट दिनांक- 17.11.2020

(1). दिनांक 16.11.2020 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वार थाना राजापुर परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया। निर्माणाधीन भोजनालय एवं महिला हेल्पडेस्क को शीघ्र बनवाने हेतु निर्देशित किया गया। बाद निरीक्षण महोदय द्वारा कस्बा राजापुर का भ्रमण किया गया एवं व्यापारियों से वार्ता कर समस्याएं पूंछी गयी।

महोदय द्वारा यम द्वितीया के उपलक्ष में विधिविधान के साथ तुलसीघाट पर यमुना जी की आरती की गयी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अनिल कुमार सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम रौली कल्याणपुर, सुदिनपुर, अमिलिया में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा देशराज का पुरवा मजरा करका पड़रिया में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा प्रमुख चौराहा, बस स्टैण्ड में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा स्कूल जाने वाली छात्राओं को, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर एवं जी0जीआई0सी0 में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।